कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम (म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 300 /दो—16—6/2025 नर्मदापुरम, दिनांक 14.03.2026

श्रीमती मधुबाला सोलंकी राजपूत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम का दिनांक 27.02.2026, 28.02.2026 एवं 02.03.2026 कुल 03 दिवस का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाकर, दिनांक 27.02.2026 से 11.03.2026 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदिका के अर्जित अवकाश लेखे में 66 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी)(दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

3— अवकाश अवधि में वेतनभत्ते उसी दर से देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व मिलते थे।

4— आवेदिका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ रहतीं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नर्मदापुरम (म.प्र.)

पृ0क्रं0 1234/दो—16—6/2025 नर्मदापुरम, दिनांक 14.03.2026

आदेशानुसार प्रतिलिपिः—

01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम, की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. श्रीमती मधुबाला सोलंकी राजपूत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

14/3/26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)